# झारखंड लोक सेवा आयोग

## सर्कुलर रोड, रांची – 834001

## विज्ञापन

ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि–13.07.2017

विज्ञापन संख्या–15/2017

### झारखण्ड राज्य के गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सकों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति परीक्षा

झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा **झारखण्ड राज्य के गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक** के निम्न पदों पर नियुक्ति हेतु प्रेषित अधियाचना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित–प्रपत्र में Online आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

1. (क) (i) पद का नाम– मनोचिकित्सक **(Psychiatrist)**

(ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :–

| S.No. | Category | Vertical Reservation | Horizontal Reservation against total vacancy | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. of vacancies | Primitive Tribe | Women | | Handicapped | | |
| | | | | | Sports | Blind | Deaf & Dumb | Locomotive |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| i | Unreserved | 03 | Horizontal reservation of Primitive Tribes | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| ii | SC | 00 | | | | | | |
| iii | ST | 02 | | | | | | |
| iv | BC-I | 01 | | | | | | |
| v | BC-II | 00 | | | | | | |
| Total of (i) to (v) | | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |

(ख) (i) पद का नाम– नेत्र रोग विशेषज्ञ **(Opthalmologist)**

(ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :–

| S.No. | Category | Vertical Reservation | Horizontal Reservation against total vacancy | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. of vacancies | Primitive Tribe | Women | | Handicapped | | |
| | | | | | Sports | Blind | Deaf & Dumb | Locomotive |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| i | Unreserved | 11 | Horizontal reservation of Primitive Tribes | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| ii | SC | 02 | | | | | | |
| iii | ST | 06 | | | | | | |
| iv | BC-I | 02 | | | | | | |
| v | BC-II | 01 | | | | | | |
| Total of (i) to (v) | | 22 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |

(ग) (i) पद का नाम– शिशु रोग विशेषज्ञ (Paediatrician)

(ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :–

| S.No. | Category | Vertical Reservation | Horizontal Reservation against total vacancy | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. of vacancies | Primitive Tribe | Women | | Handicapped | | |
| | | | | | Sports | Blind | Deaf & Dumb | Locomotive |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| i | Unreserved | 115 | Horizontal reservation of Primitive Tribes | 11 | 04 | 00 | 00 | 07 |
| ii | SC | 23 | | | | | | |
| iii | ST | 60 | | | | | | |
| iv | BC-I | 18 | | | | | | |
| v | BC-II | 14 | | | | | | |
| Total of (i) to (v) | | 230 | 01 | 11 | 04 | 00 | 00 | 07 |

(घ) (i) पद का नाम– अस्थि रोग विशेषज्ञ (Orthopaedician)

(ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :–

| S.No. | Category | Vertical Reservation | Horizontal Reservation against total vacancy | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. of vacancies | Primitive Tribe | Women | | Handicapped | | |
| | | | | | Sports | Blind | Deaf & Dumb | Locomotive |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| i | Unreserved | 09 | Horizontal reservation of Primitive Tribes | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| ii | SC | 02 | | | | | | |
| iii | ST | 05 | | | | | | |
| iv | BC-I | 01 | | | | | | |
| v | BC-II | 01 | | | | | | |
| Total of (i) to (v) | | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |

(ङ) (i) पद का नाम– कान, नाक एवं गला रोग विशेषज्ञ (E.N.T Specialist)

(ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :–

| S.No. | Category | Vertical Reservation | Horizontal Reservation against total vacancy | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. of vacancies | Primitive Tribe | Women | | Handicapped | | |
| | | | | | Sports | Blind | Deaf & Dumb | Locomotive |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| i | Unreserved | 10 | Horizontal reservation of Primitive Tribes | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| ii | SC | 02 | | | | | | |
| iii | ST | 05 | | | | | | |
| iv | BC-I | 02 | | | | | | |
| v | BC-II | 01 | | | | | | |
| Total of (i) to (v) | | 20 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 |

(च) (i) पद का नाम– रेडियोलॉजिस्ट (Radiologist)

(ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :–

| S.No. | Category | Vertical Reservation | Horizontal Reservation against total vacancy | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. of vacancies | Primitive Tribe | Women | | Handicapped | | |
| | | | | | Sports | Blind | Deaf & Dumb | Locomotive |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| i | Unreserved | 16 | Horizontal reservation of Primitive Tribes | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| ii | SC | 04 | | | | | | |
| iii | ST | 08 | | | | | | |
| iv | BC-I | 03 | | | | | | |
| v | BC-II | 01 | | | | | | |
| Total of (i) to (v) | | 32 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 |

(छ) (i) पद का नाम– फोरेन्सिक चिकित्सक (Forensic Expert)

(ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :–

| S.No. | Category | Vertical Reservation | Horizontal Reservation against total vacancy | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N0. of vacancies | Primitive Tribe | Women | | Handicapped | | |
| | | | | | Sports | Blind | Deaf & Dumb | Locomotive |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| i | Unreserved | 11 | Horizontal reservation of Primitive Tribes | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| ii | SC | 02 | | | | | | |
| iii | ST | 06 | | | | | | |
| iv | BC-I | 02 | | | | | | |
| v | BC-II | 01 | | | | | | |
| Total of (i) to (v) | | 22 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |

(ज) (i) पद का नाम– चर्म रोग विशेषज्ञ (Dermatologist)

(ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :–

| S.No. | Category | Vertical Reservation | Horizontal Reservation against total vacancy | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N0. of vacancies | Primitive Tribe | Women | | Handicapped | | |
| | | | | | Sports | Blind | Deaf & Dumb | Locomotive |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| i | Unreserved | 12 | Horizontal reservation of Primitive Tribes | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| ii | SC | 02 | | | | | | |
| iii | ST | 06 | | | | | | |
| iv | BC-I | 02 | | | | | | |
| v | BC-II | 01 | | | | | | |
| Total of (i) to (v) | | 23 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |

(झ) (i) पद का नाम– पैथोलॉजिस्ट (Pathologist)

(ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :–

| S.No. | Category | Vertical Reservation | Horizontal Reservation against total vacancy | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. of vacancies | Primitive Tribe | Women | | Handicapped | | |
| | | | | | Sports | Blind | Deaf & Dumb | Locomotive |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| i | Unreserved | 12 | Horizontal reservation of Primitive Tribes | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| ii | SC | 03 | | | | | | |
| iii | ST | 06 | | | | | | |
| iv | BC-I | 01 | | | | | | |
| v | BC-II | 01 | | | | | | |
| Total of (i) to (v) | | 23 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |

नोट :– कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

2. **वेतनमान** – **PB-II (Rs.9300-34800| Grade Pay – 5400+4 extra increments for P.G. Degree Holders and 3 extra increment for P.G. Diploma Holders.)**

3. **पद** – स्थायी

4. **परीक्ष्यमान अवधि** – 2 (दो) वर्ष

5. **अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हत्ता** :– सीधी नियुक्ति की चयन में सम्मिलित होने के लिए आवेदक को भारतीय चिकित्सा परिषद् से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा यथा एम०डी०, एम०एस०, डी०एन०बी० अथवा समकक्ष उच्चतर डिग्री यथा एम०सी०एच०, डी०एम० की डिग्री प्राप्त करना तथा चिकित्सक के रूप में निबंधित होना आवश्यक होगा।

6. **उम्र सीमा की संदर्भ तिथि** :– **01.08.2017**

(क) **न्यूनतम उम्र सीमा** – **25 वर्ष।**

(ख) **अधिकतम उम्र सीमा** – स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–173(3) दिनांक–24.02.2016 के अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार है :–

| क्र0 सं0 | कोटि | अधिकतम उम्र सीमा |
|---|---|---|
| 1. | अनारक्षित | 40 वर्ष |
| 2. | पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) | 42 वर्ष |
| 3. | महिला (अनारक्षित–झारखण्ड की स्थानीय निवासी)/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) | 43 वर्ष |
| 4. | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) | 45 वर्ष |

(ग) दिव्यांगों को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 05 वर्षों की छूट देय है।

(घ) भूतपूर्व सैनिकों (Ex- Service men) को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्रसीमा में 05 वर्षों की छूट देय है।

(ङ) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक–360 दिनांक–21.01.2003 के अनुसार राज्य सरकार के वैसे सरकारी कर्मी जिन्होंने लगातार तीन वर्षों की सरकारी सेवा पूरी कर ली हो, उन्हें निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट देय है।

(च) झारखण्ड राज्य के महिला स्थानीय निवासियों के द्वारा क्षैतिज आरक्षण के दावा हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त के स्तर से निर्गत अद्यतन स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के आलोक मे देय होगा। उक्त प्रमाण पत्र संख्या एवं दिनांक की प्रविष्टि आवेदन पत्र में संबंधित आवेदकों द्वारा की जायेगी।

7. **नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया** :– विशेषज्ञ चिकित्सकों का चयन उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार किया जायेगा। कोटिवार रिक्ति/रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में आरक्षण कोटिवार रिक्ति/रिक्तियों के पांच गुणा उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु आंमत्रित किया जायेगा। शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार के लिए कुल 100 अंक होंगे। इन 100 अंकों का निर्धारण निम्नवत् होगा :–

(क) स्नातकोत्तर में प्राप्तांक – कुल 60 अंक

(ख) स्नातकोत्तर से उच्चतर डिग्री यथा डी0 एम0/एम0सी0एच0 – कुल 10 अंक
अथवा समकक्ष डिग्री (भारतीय चिकित्सा परिषद् से अनुमान्यता प्राप्त हो)
यह अंक समान रूप से स्नाकोत्तर से उच्चतर डिग्री धारक को दिया जायेगा।

(ग) मौखिक साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा – कुल 30 अंक

8. **न्यूनतम अर्हतांक** :–

**साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा** परीक्षा में सफलता के लिए निम्नलिखित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा :–

| | |
|---|---|
| अनारक्षित | 40 प्रतिशत |
| पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) | 36.5 प्रतिशत |
| अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) | 34 प्रतिशत |
| अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग | 32 प्रतिशत |

9. **आरक्षण का लाभ** :–

(क) **ऑनलाइन** (Online) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।झारखण्ड राज्य के उम्मीदवार, जो **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग** (अनुसूची–II) **एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग** (अनुसूची–I) के हैं,

को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत अद्यतन जाति प्रमाण पत्र संख्या तथा जारी करने की तिथि का विवरण ऑनलाइन आवेदन पत्र में देना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि के माने जायेंगे। प्रमाण पत्र का प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन में दिये गये प्रविष्टि (Entry) के अनुसार साक्षात्कार के समय उक्त सम्बंधित प्रमाण पत्र को मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ख) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत अद्यतन जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। **झारखण्ड राज्य के बाहर के जाति प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी के लिए आरक्षण के लाभ हेतु किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा।**

(ग) झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण संबंधी नियम प्रभावी होंगे। अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के उम्मीदवार को, चाहे वे किसी भी जाति के हों, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथा वे अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार माने जायेंगे।

(घ) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार संकल्प संख्या–5555 दिनांक–28.06.2016 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए चिह्नित पदों में से 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण आदिम जनजाति के लिए देय होगा। ये आदिम जनजातियों के पद वैसे अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे, जो न्यूनतम अर्हत्तांक प्राप्त करेंगे। मेधा सूची में यदि अनुमान्य आदिम जनजाति के सदस्य स्वतः आ जाते हैं तो आदिम जनजाति के लिए अलग से अभ्यर्थी के चयन की अपेक्षा नहीं होगी, किन्तु यदि आदिम जनजाति के सदस्य अनुसूचित जनजाति की मेधा सूची में नहीं आते हैं, तो इन्हें क्रमानुसार 02 प्रतिशत पद उपलब्ध करा दिये जायेंगे। अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत न्यूनतम अर्हत्तांक प्राप्त करने वाले आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के अभाव में ये पद रिक्त नहीं रहेंगे अपितु अनुसूचित जनजाति के अन्य योग्य उम्मीदवार से भरे जायेंगे अर्थात बैकलॉग नहीं होगा।

(ड.) **खेलकूद कोटा** के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–1709 दिनांक–12.09.2007 द्वारा श्रेणी –II के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :–

| प्रतियोगिता का स्तर | उपलिब्ध |
|---|---|
| (i) अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता। | मेडल |
| (ii) भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप स्तर की प्रतियोगिता। | प्रथम स्थान |
| (iii) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता। | विश्व रिकार्ड |

(च) आरक्षण दावा करने हेतु विहित प्रपत्र–I एवं प्रपत्र–II (जैसा उपयुक्त हो) में जाति प्रमाण पत्र जिसकी प्रविष्टि आवेदन में किया गया है, को आयोग द्वारा अन्तर्वीक्षा के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि के माने जायेंगे।

(छ) साक्षात्कार के समय ऑनलाईन आवेदन में दिये गये प्रविष्टि (Entry) एवं मुद्रित (Downloded) आवेदन के साथ संलग्न सभी योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों की संबंधित मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

10. (i) **कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणामः–**

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

(a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
(b) Impersonating, or
(c) Procuring impersonation by any person, or
(d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
(e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
(f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
(g) Using unfair means during the test, or
(h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
(i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
(j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
(k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
(l) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
    (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
    (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
    (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ii) **कदाचार के लिए कार्यवाही :–**

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गए अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) **पूर्व के कदाचार का प्रभावः–**

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

312

**11. परीक्षा शुल्कः–**

(i) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(ii) अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क रू0–**600 (छः सौ) + बैंक चार्ज** मात्र है।

(iii) **परीक्षा शुल्क में छूट–** झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0–**150/– (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज** मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी एवं बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। **परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।**

(iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।

(v) परीक्षा शुल्क के अलावा अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में अतिरिक्त राशि का भी भुगतान करना होगा जिसकी विस्तृत सूचना आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है। जिसे आवेदन जमा करने के पूर्व अवश्य देख कर ही आवेदन करें।

**12. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :–**

(क) ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व आवेदन कैसे करें, "How to apply" अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No. – 0651/2213009 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह–10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

(ख). Jharkhand Public Service Commission के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर Online Application System के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा।

(ग) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

(घ) **Online** आवेदन भरते समय आवेदक के शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी :–

(i) भारतीय चिकित्सा पर्षद से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा यथा– एम0डी0, एम0एस0, डी0एन0बी0 अथवा समकक्ष उच्चतर डिग्री यथा एम०सी०एच०, डी०एम० की डिग्री (ii) चिकित्सा परिषद द्वारा निर्गत स्थायी निबंधन प्रमाण पत्र (iii) उम्र संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष (iv) जाति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो) (v) मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो) निर्धारित कंडिकाओं में अवश्य प्रविष्टि करेंगे तथा साक्षात्कार के समय जाँच के क्रम में उपरोक्त प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं ऑनलाईन आवेदन में दी गयी सूचना तथा साक्षात्कार के समय दी गयी सूचना में भिन्नता होने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(ङ.) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा

(च) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(छ) आवेदन पत्र हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों **(BLOCK LETTERS)** में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए। आवेदन पत्र भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंको का ही प्रयोग करें।

(ज) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्त्तनी (Spelling) वहीं लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट एवं अंक पत्र में अंकित है।

(झ) जन्म तिथि हेतु आवेदक अपने मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में अंकित जन्म तिथि यथा तिथि, महीना और वर्ष आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर प्रविष्टि करें।

13. **अंतिम तिथि :–**

(क) आवेदक Online Application System के माध्यम से **दिनांक 23.06.2017 से 13.07.2017 अपराह्न 05:00 बजे** तक ही Online आवेदन कर सकते हैं।

(ख) दिनांक–**14.07.2017** से दिनांक–**17.07.2017** तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।

(ग) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।